own Ministry to put it into some kind of a shape and brought forward this Bill Therefore. I congratulate him on behalf of myself and on behalf of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you can thank Prof. Ranga for having paid you compliments .

SHRI SITA RAM KESRI: I am thankful to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.40 hrs.

PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we will take up the next item—Payment of Wages (Amendement) Bill. Time allotted is 2 hours.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

Sir, the Payment of Wages Act regulates the payment of wages to certain classes of persons employed in industry. It also ensures that wages payale to the employees covered by the Act are disbursed by the employers within the prescribed time limit, and no deductions are made which are not authorised by law. The working of the Act has revealed a number of shortcomings. Government also received suggestions for amending the Act to improve its working and to make it more effective and beneficial. It was also suggested to Government that the benefits of the Act should be extended to a larger number of employees by enlarging the scope of industrial establishments as well as by enhancing the existing wage limit for coverage from Rs. 1,000 per month to Rs. 1,600 per month. Government have considered the various suggestions and decided to amend the Act.

The amending Bill now before the House seeks to achieve these objectives. It widens the definition of 'industrial establishment' to cover other establishments. It also empowers the State Government to extend the provisions of the Act to other establishments, brought within the definition, except that in case of an establishment owned by the Central Government its prior concurrence would be taken. The Bill also extends the benefit of the Act to employees whose wages are less than Rs. 1,600 per month as against the existing limit of Rs. 1,000 per month.

Section 7 of the Act which deals with authorised deductions to be made from the wages of employed persons, is being amended so as to provide for deductions from wages, with the written authorisation of the employed person, for the payment of contribution to any fund constituted by the employer or by a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926, for the welfare of the employed persons or the members of their families, or both, as approved by the State Government or an officer specified by it in this behalf. The amending Bill also provides for deductions, with the written authorisation of the employed person, for payment of fees payable by him for the membership of any trade union registered under the Trade Unions Act.

It is intended to enhance the quantum of fines and period of imprisonment provided under the Act with a view to making them more deterrent. It is also proposed to provide for awarding a minimum punishment for certain offences under the Act. It is hoped that these amendments will have a salutary effect on the enforcement of the Payment of Wages Act.

It is also proposed to add a new Section in the Act which may enable disposal of amounts payable to an employed person if such amount could not be paid on account of his death before payment or on account of his whereabouts not

[Shri Bhagwat Jha Azad]

being known. With the introduction of this new Section in the Act, the employers' liability would be discharged by depositing the amount with the prescribed authority which shall deal with the amounts so deposited. Certain other minor amendments have also been proposed in the Act. These would help in securing better enforcement of the Act.

With these words, I request this House to pass this Bill which extends the coverage of the Act to larger numbers of persons, secures better enforcement of the Act and therefore, contains provisions which are beneficial to the working class.

Sir, I move.

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki): Mr. Deputy-Speaker Sir, this is just another labour black Bill moved by the Government of India...

AN HON. MEMBER: All black Bills: no white Bill!

SHRI M. M. LAWRENCE: Only yesterday, they passed the Industrial Relations Bill. They are trying to pass the Bills to safeguard the interests of the employers, not to safeguard the interests of the working class. They are bringing such Bills despite the opposition of the most of the trade unions of India.

The former Labour Minister had given an assurance to the Central Trade Unions that before bringing Bills of importance concerning labour the Government would consult the trade unions in the Indian Labour Conference. The assurance has been violated by the Government of India. The Indian Labour Conference was postponed thrice by the Government of India without assigning any reason. Now, the Government is bringing these labour black Bills, one by one, in a hurry—

It is stated in the amendment, on Page 2 Clause 7:

"In section 7 of the principal Act in sub-section (2), after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:—

(kk) deductions made, with the written authorisation of the employed person, for the payment of his contribution to any fund constituted by the employer or a trade union registered under the Trade Union Act, 1926 for the welfare of the employed persons or the members of their families, of both, and approved by the State Government or any officer specified by it in this behalf, during the continuance of such approval."

It is stated, "any fund constituted by the employer". From this wording itself, the whole character of the Government is being exposed....

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Why not read the next "or a trade union"?

SHRI M. M. LAWRENCE: That also I have gone through.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Therefore, you say both.

SHRI M. M. LAWRENCE: Keeping that also in my mind, I am making my observations about this.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: You say both and then make your observations.

SHRI M. M. LAWRENCE: Here, the supremacy of the employers as a master of the employees has been reiterated by the Government. Is there any doubt that this is a Government of the exploiters against the toilers? The employer decided to constitute a fund for the welfare of the workers taking a portion of the hard-earned wages of the worker. This is not 'Payment of Wages'. This is 'Non-payment of Wages.' It is better to call this Amendment Bill 'Non-Payment of Wages Bill.'

This Government is always talking about the partnership of the workers in industries. This is the type of partnership of the employees in the management that

they are going to give for our working class in our country.

By spending money from their wages, the working class themselves can look after their welfare.

They do not need any help from their employers for that.

Actually this Clause was inserted in this Amendment to impound a portion of the wages on the plea of labour welfare.

It is nothingelse than the notorious Conpulsory Deposit Scheme introduced by the former Congress-I.

(*Interruptions*)

The only difference is this. The Welfare Fund can be utilised by the employer now. Formerly, it was utilised by the Government.

Likewise, take Sub-Section (kkk) in the same Clause. I quote:

> "(kkk) deductions made, with the written authorisation of the employed person, for payment of the fees payable by him for the membership of any trade union registered under the Trade Unions Act, 1926."

This is what is called check-off system. It was only ISTUC which demanded check-off system providing right to the employer to deduct fees for union's membership from the wages of a worker and pay it to the union. This system works through bringing pressure on the workers to sign check-off Forms in favour of company union. The officials and Supervisors are freely used, to get such Forms signed by the workers. Those who refuse are given charge-sheets on flimsy grounds to intimidate the workers.

The real aim is that the Government wants to boost the dwindling influence of the INTUC through such retrograde systems. All the Central Trade Unions except INTUC have opposed this and they have demanded a secret ballot to determine the strength of the union. If it had been accepted, the issues involved in the Bombay Textile strike case would have been solved months back with the real representatives of the workers. But the Maharashtra Government, through their notorious anti-labour Bombay Industrial Relations Act, made Rashtriya Mill Mazdoor Sangh the sole representative of the textile workers through a so-called verification. Now the Bombay Textile workers by their seven month old valiant struggle have proved that they never recognised the Rashtriya Mill Mazdoor Sangh. The Rashtriya Mill Mazdoor Sangh fattened on the "check-off system" to safeguard the interests of the millowners. Even before, passing this black labour Bill, the Rashtriya Mill Mazdoor Sangh was collecting illegally fees for membership through management.

If they have an iota of shame, let them pay back the ill-gotten money to the workers immediately.

The check-off system has other dissadvantages also for the democratic functioning of trade unions. It gives up the voluntary character of a trade union. After signing of the form, the membership becomes compulsory for the worker. It is imposible for a worker to withdraw the check-off form because the employers just do not accept the withdrawal letters.

Collection of subscription directly from the workers enables a union to keep regular contact with its members. But this Government does not want any union to keep regular contact with its members. The contact is made now through the management by the check-off system. Experience has proved that the check-off system only helps to impose company unions on the mass of workers. When illiteracy among the workers is very large as is the case in our country, this system has far-reaching and dangerous consequences.

The increase in penalty is just not going to solve the problems. The experience of the working of the Act shows that the employers violating it are allowed to go scot free. The Government has admitted on many occasion, that is machinery to check the violation of the Act is inadequate. We do not have statistics before us to

[Shri M. M. Lawrence]

show that Government have taken any action against the employers for violating the Payment of Wages Act. The penalty is just symbolic. Even after this Amendment, it will be cheaper for them to violate the Act and pay penalty than to implement it because out of 100 cases, only one is caught. In 1936 the maximum penalty was Rs. 500, and now it has been increased to Rs. 1000/-. Whereas during this period the prices have gone up by 18 times, the penalty has been only doubled. As per the increase in prices, the penalty should have been at least Rs. 9,000/-. If at all the Government is serious about stopping the violation, they should bring forward a measure with a provision for compulsory imprisonment for the employers who violate this Act.

The ceiling of Rs. 1600|- will still exclude a large section of the workers from the purview of this Act. Bringing of the salary limit in labour laws by the Government is only to help the employers.

Non-payment of wages in construction industry and by contractors is a regular feature in our country. Even some organized industries are violating the provisions of this Act. May I cite one example? There is one textile mill, G.T.M. Mill, in Sirsa in Haryana. About 1400 workers are working there. The Haryana Government had enacted the Minimum Wages Act for the workers some years back. But these workers were denied the minimum wages all these years, even though there was an enactment by the Haryana Government. Only recently they were able to form even an Union. Some three years back, they tried to form a Union, but they were prevented by anti-social elements arranged by the employer with the support of the police, in connivance with the State Government. They were attacked by goondas. They even used guns against the workers, they fired at them. Their family members were driven away from the colonies where they were living. Watere and lights were cut off for them just as the Israelis are now, doing against the Palestinians in Lebanon. Withstanding all these onslaughts; the workers formed a Union, and only recently the Union has been given registration though for the last three years they were trying to have it.

The Government have failed to protect the interests of the workers. In the name of protecting the interests of workers, the Goernment is bringing Bills to protect the interests of the employers and to foster their own child, the INTUC. The non-payment of wages in another way these employers are doing. For example, in Kerala in the cashew industry a month ago a conference was convened in Delhi by the Government of India to end the stalemate in the cashew industry. In the hands of the State Government there was a good quantity of cashew through procurement, but these private employers are reluctant to lift the stock. After the conference it was decided to lift the cashew stock and open the factories but so far the employers have not opened the factories. Had they opened the factories and started the work, during this Onam season, the employers would have been constrained to give bonus to the workers as well as wages. About a lakh of workers and their families are under starvation now. On September first the biggest national festival of Kerala Onam begins. During Onam festival these one lakh families of cashew workers are going to continue their starvation. Whatever neactment we may have these employers can overcome them very easily and cheat the workers and no government is there to take action against them.

Even in the public sector undertakings many contractors run away without paying the wages to the workers but the principal employer does not take any responsibility for it.

So I vehemently request the Government and appeal to the Government to withdraw this Bill because this is against the consensus of the Indian Labour Conference and I appeal to the hon. Minister to discuss these issues in the ensuing meeting of the Indian Labour Conference and bring forward a comprehensive Bill in the interests of the working class of our country.

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल का, जो राज्य सभा के बाद यहां आया है, मैं हार्दिक समर्थन करता हूं ।

इस बिल में संशोधन की आवश्यकता बहुत पहले थी और अब वह पूरी होने जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण बिल है, जो मजदूरों से सम्बन्धित है, श्रमजीवियों से सम्बन्धित है, जिनके अधिकारों की रक्षा और जिनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था इसके अन्दर है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि क्योंकि ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित और मजदूर वर्ग के हितैषी लोगों का इससे ज्यादा सम्बंध है, इसलिए इस का समर्थन उस विरोधी पक्ष से होना चाहिए था, जो मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहा है लेकिन यहां पर उस विरोधी पक्ष द्वारा जो आलोचना हुई, उस को मैंने समझने का प्रयत्न किया। क्या इसका विरोध इस बिल की धाराओं से संबंधित है और क्या उसे वे चीजें इसमें नहीं दिखाई दीं, जोकि होनी चाहिए थी या केवल भावनात्मक रूप से इस का विरोध किया गया और इसलिए किया गया क्योंकि यह इस पक्ष से आया है और यह भी मजदूरों के हित के लिए काम कर रहा है। और दूसरा पक्ष भी मजदूरों के हित के लिए काम कर रहा है। इसलिए इसका विरोध केवल विरोध के लिए होना चाहिए और उसी रूप में यह विरोध इस बिल के बारे में आया है।

कहने के लिए कहा गया है कि यह बिल मालिकों के पक्ष में है और मजदूरों के हित में नहीं है। यह शब्दों के उच्चारण में ही हुआ है मगर सिद्ध करने के रूप में कोई चीज सामने नहीं लाई गई। उन्होंने यह अपील की है कि यह बिल पूरी तरह से लागू हो क्योंकि लागू न होने की उन्होंने अपनी संभावना प्रकट की है। यह ठीक ढंग से लागू किया जाएगा, ऐसा संदेह व्यक्त किया गया है। मगर यह ठीक ढंग से लागू करने के लिए ही लाया गया है। इसको पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता कि यह मजदूरों के हित में नहीं है। यह पूरी तरह से मजदूरों के हित में है और मालिकों द्वारा जो उनके अनहित किए जाते हैं उनको रोकने के लिए ही है।

इस बिल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम मजदूरों के हित के लिए जो चिंतन करते रहे हैं, एक राष्ट्रीय आधार पर जो हम सोचते रहे हैं आज उसी को पूरा करने जा रहे हैं। मजदूरों का हित बहुत पहले हमारे सामने आ गया था। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से, 1907 से आज तक मजदूर हमारी अगुआई करते रहे हैं और आज के निर्माण युग में भी वे हमारी अगुआई कर रहे हैं। इसलिए उनका हित-चिंतन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह हम कर रहे हैं।

ब्रिटिश कानून जो 1936 का था उसमें परिवर्तन करना आवश्यक था। आज वह परिवर्तन हो रहा है और मुझे आशा है कि आगे चल कर उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की जो मांग हो रही है, वह भी अवश्य होगा। लेकिन जब तक वह हो, आज की मौजूदा स्थिति में यह जो परिवर्तन हम कर रहे हैं यह बहुत आवश्यक है।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि इस बिल के द्वारा जिन मजदूरों का हित निश्चित किया गया है उनकी संख्या कम है। हमारे 75 प्रतिशत ऐसे मजदूर हैं जो कि इस बिल की परिधि से बाहर हैं। उनके लिए भी आपको सोचना होगा। आपने औद्योगिक मजदूरों के हित के लिए यह कानून लागू किये हैं। औद्योगिक मजदूरों के बाहर भी खेत मजदूर हैं, वे बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनके लिए भी आपको चिंतन करना होगा जो कि बहुत ही गरीबी की स्थिति में हैं। बन्धक मजदूर भूखे मर रहे हैं। उनका हित भी इस बिल से पूरा नहीं हो पाता है। उनकी तरफ भी आप ध्यान दें।

आपने इसको उद्योगों तक सीमित रख दिया है। मगर जिस उद्योग के लिए आपने सीमा रखी है उस उद्योग से बाहर भी बहुत से काम करने वाले हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स और रोड्स की आपने सीमा रखी है लेकिन उसके बाहर ईंटों के भट्टों में काम करने वाले भी मजदूर हैं। भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

[श्री केयूर भूषण]

जब आप किसी कारखाने में मजदूरों को जो काम करने वाले हैं उनके हितों को भी है कि उस संख्या से कम संख्या में काम करने वाले लोगों की एक तरह से उपेक्षा हो जाती है। उनके हितों को सुरक्षा नहीं हो पाती। मालिक लोग, अगर मशीन से उस कारखाने में काम होता है, तो वे ऐसे कानून से बचने के लिए कई तरीके निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर मशीन से कोई चीज काटी जाती है या मशीन से छेद किया जाता है तो वह काम मशीन से न करा कर, या जिसमें बिजली का उपयोग होता है, उसमें बिजली का उपयोग न करा कर उसके बदले हाथ से काम कराया जाता है जिससे कि इस कानून से बचा जा सके। कारखाने में वह काम न करा कर उसके बाहर कराया जाता है। इस तरह से मजदूरों के हित की रक्षा नहीं हो पाती।

इसके साथ खादी ग्रामोद्योग के अन्दर जो काम करने वाले हैं उनके हितों को भी इससे सुरक्षा नहीं हो पाती है। जहां भी लेबर लगे हुए हैं, पूरी लेबर करते हैं, लेकिन उनकी पूरी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। उनको जो लाभ मिलना चाहिए या उनका जो कल्याण होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। उनको पूरी मजदूरी समय पर मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। जैसे कि माचिस उद्योग में लगे हुए लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों के अंदर भी ये लोग हैं। ये सैकड़ों की तादाद में हैं लेकिन वे इस बिल की परिधि में नहीं आते। खादी ग्रामोद्योग में टिन का काम होता है, बड़ी-बड़ी दलमारी, पलंग और छोटे-छोटे औजार बनते हैं। मगर इस में काम करने वाले मजदूर भी ग्रामोद्योग में आने के कारण इन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं जिन की तरफ विशेष ध्यान आपको देना होगा। खेत मजदूर की स्थिति को आप देखें। जहां पर फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं उनके मजदूरों को आप देखें। कारखाने जैसे चीजों का उपयोग वहां पर हो रहा है। चूंकि वे खेत मजदूर हैं इस वास्ते वे इस तरह के लाभ से वंचित हैं। चाहे बगीचे में काम करते हों या फार्म में करते हों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच में काम करते हों, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कल्याण निधि आप बनाने जा रहे हैं। उसका उपयोग सही होना चाहिए। चंदे की जो राशि है वह प्रभावशाली ट्रेड यूनियनिस्टों को ही नहीं जानी चाहिए। आपको यह भी देखना होगा कि कौन सी ट्रेड यूनियन मजदूरों का सही प्रतिनिधित्व करती है उनको ही जो अधिकार हैं वे प्राप्त होने चाहिए। जो ट्रेड यूनियन मजदूरों के पास पहुंचती हो, उनके पास जा कर चन्दा लेती हो कहीं ऐसा न हो कि इस वजह से मजदूरों और ट्रेड यूनियन के नेताओं का जो संबंध है वह विकृत हो जाए, टूट जाए। इस ओर भी विशेष ध्यान आपको देना चाहिए।

आपने कारावास की सजा का प्रावधान किया है। आपने यह भी निर्धारित किया है कि दंड की राशि पांच सौ से बढ़ा कर एक हजार कर दी जाएगी। इसको आप व्यावहारिक रूप देंगे यह तो मुझे विश्वास है। लेकिन हमारा अब तक का जो अनुभव है वह यह बताता है कि एक मजदूर से काम लेकर जब चाहे उसको निकाल दिया जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में, उनके वेतन जो हैं, जो रोजी उनको मिल रही है, वह पूरे तरीके से मिल रही है या नहीं, इसके बारे में सारे नियम जो आपने बना रखे हैं लेकिन उन नियमों के अनुसार आपको यह भी देखना होगा कि रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है और अगर नहीं किया जाता है तो उसको आप दण्डनीय अपराध करार देते हैं। मेरा निवेदन है कि जब आप दण्डनीय अपराध करार देते हैं तो इसका व्यावहारिक रूप भी हमारे सामने आना चाहिये और इसको व्यावहारिक रूप भी आपको देना चाहिए, कार्यरूप में भी इसको आपको परिणत करना चाहिए। ऐसा किया गया तभी मजदूर वर्ग में विश्वास की भावना पैदा होगी और वह समझेगा कि उसके हित के काम हो रहे हैं।

आज तक की हमारी परम्परा यही रही है कि हम ने मजदूरों के हित में काम किया है । हमारा समाजवादी लक्ष्य है । उस लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं । इस का प्रमाण भी उसको मिलना चाहिये । यह बहुत आवश्यक है ।

आलोचकों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । जिस तरीके से मजदूरों को सुरक्षा प्रदान हो सकती हो, उसके हमें उपाय करने चाहियें । पुरानापन जो है कि केवल हड़ताल के माध्यम से या कानून व्यवस्था को तोड़ कर कोई चीज मनवाई जा सकती है उसको छोड़ कर हमारा लक्ष्य परस्पर सहयोग का होना चाहिए। उत्पादन जो हम कर रहे हैं वह भी राष्ट्रीय है और पूंजी जो है वह भी राष्ट्रीय है, इसको हमें समझना चाहिए । एक दूसरे के साथ सहयोग कर हम इस काम को पूरा करें। मजदूरों के हित साधन का लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिये, हमारा भी और आपका भी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल का जो मजदूरों के हित में है, हम और आप दोनों मिल कर समर्थन करें।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । कटौती करके एक कोष बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है और इससे निर्मित कोष कारखाने या प्रतिष्ठान के मालिक के पास रहेगा। इस सम्बन्ध में मुझे दो बातें कहनी हैं । भविष्य निधि में जो रुपया है उसके बारे में सारे देश की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों और यूनियनों की तरफ से अनेक बार आपके पास शिकायतें आई होंगी कि वह पैसा मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया जाता है, देने की बात तो बाद में आती है। मैं आपको मिसाल देता हूं । मेरे यहां अभी पीलीभीत की एल एच शूगर मिल और बरेली की एक शूगर मिल दोनों ने लाखों रुपया भविष्य निधि का काट कर न तो अपना शेयर और न ही मजदूरों का काटा हुआ पैसा जमा किया। 20 बार लिख चुके हैं, आन्दोलन कर चुके हैं मगर पूंजीपतियों का कुछ नहीं हुआ। आज फिर आप की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भविष्य कटौती कर के कोष का निर्माण कर रहे हैं। पूंजीपति पहले ही भविष्य निधि का पैसा न जमा कर रहे हैं और न दे रहे हैं, यद्यपि कानून बना हुआ है जिससे जुर्माने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भविष्य निधि का रुपया जमा न करने के लिए कितने पूंजीपतियों का आपने चालान किया और दंड दिया ? और अगर नहीं किया तो मैं चाहूंगा मंत्री जी स्पेसिफिक आश्वासन दें। आप इनके खिलाफ दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करेंगे तब मैं समझूंगा कि आप पूंजीपतियों के समर्थक नहीं हैं बल्कि मजदूरों के समर्थक हैं ।

आप एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाये होते । बहुत सी चीजें मजदूरों के हित में और होनी चाहियें थीं। लेकिन आप पीसीमील लेजिस्लेशन लाते हैं । ग्रेचुटी का जहां तक सवाल है मैं तो अपने यहां का उदाहरण दे सकता हूं कि पीलीभीत में हमारे यहां 30 दिन का महीना लगाया जाता है ग्रेचुटी को बेस बनाने के लिये, जब कि 26 दिन का लगाया जाना चाहिए । इसकी शिकायत की गई श्री टी. अंजैया के समय उत्तर प्रदेश की सारी व्यक्तिगत चीनी मिलों का यही हाल है । इस सम्बन्ध में पीलीभीत शूगर फैक्ट्री की यूनियन के मंत्री ने पत्र लिखा अंजैया जी को और उसके बाद बहुगुणा जी को उसकी कापी भेजी । 24-7-80 को यह उत्तर दिया गया:

> The Labour Ministers' Conference which met in New Delhi on the 10th and 20th July, 1980 had recommended that the payment of Gratuity Act. 1972, be amended to clarify that Gratuity is payable at the rate of 15 days' Wages for every year of service. This, and other proposals for amendment of the Act, are being processed; and it will be my endeavour to bring forward necessary Amending Legislation as early as possible.

जो माननीय टी. अंजैया जी का आश्वासन है 1980 के बाद से आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई लेजिस्लेशन नहीं लाया गया ।

इसी तरह से श्री स्वामीनाथन ने 1980 के प्रारम्भ में पांडिचेरी में यह कहा :

> "We will come with a National Wage Policy very soon."

लेकिन आज तक नेशनल वेज पालिसी के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया, कोई

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

चीज सदन में नहीं लायी गयी । मंत्री जी मैं फिर से कहना चाहता हूं कि श्री स्वामीनाथन ने 1980 में एलान किया कि नेशनल वेज पोलिसी हम बहुत जल्दी बनायेंगे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे । लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । तो इस पर भी आप एक नेशनल वेज पॉलिसी बनायें इसकी घोषणा करें ।

कानून बनते रहते हैं जिनमें दंड का प्रावधान भी रहता है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विभिन्न जो दंड विधान बने हैं उनमें श्रमिकों को तो आपने पीड़ा पहुंचाई, लेकिन किसी पूंजीपति को भी आज तक पीड़ा पहुंचाई ? स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों ने 1969 में कहा 5 महीने तक उनको वेतन नहीं दिया गया । बहुत जोर लगाया गया, टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन अब सुनाई दे रहा है कि उसको फिर वापस करने जा रहे हैं उसी आदमी को। तो कितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को आपने तकलीफ पहुंचाई है इन दंड विधानों के द्वारा ? एक तरह 7,7 महीने वर्कर्स की, मजदूरों की हड़ताल चलती है, आप उनके लिए कोई काम नहीं करते, कोई सुविधा नहीं पहुंचाते, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स का चालान नहीं करते । कितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऐसे हैं जिनकी तरफ इनकमटैक्स, प्राविडेंड फंड और एक्साइज ड्यूटी का रुपया बकाया है, लेकिन उनके खिलाफ आप कार्यवाही करते हुए डरते हैं । क्यों आप उनमें से किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाते ?

अगर किसी की मिल को आप टेक-ओवर करते भी हैं तो उसको पहले इतना फायदा पहुंचा देते हैं कि उसे टेक-ओवर करने का कोई पश्चात्ताप नहीं होता । यह आपकी पालिसी समझ में नहीं आती है । आप वाह-वाही श्रमिकों की लेना चाहते हैं और चुनाव इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पैसे से लड़ना चाहते हैं ।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : यह असत्य है, असत्य है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह आप कह रहे हैं, यह बिल मजदूरों की दृष्टि में बहुत खतरनाक है ।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपकी भाषा तो आचार्य भगवान देव की भाषा है जो उन्होंने उस दिन इस सदन में कही थी, जिसे सारे देश ने सुना था।

आचार्य भगवान देव : आप तो बड़े प्रभावित हुए मेरी भाषा से, ऐसा लगता है । आप मेरे चेले हो ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं यह चाहता हूं कि केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों के लिए नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग खेती में काम करने वाले मजदूरों का भी बाकी है। उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया है । उनको अगर कोई तनख्वाह न दे, ज्यादा काम ले, उनके साथ अन्याय करे, तो आपके पास कोई ऐसा मेजर नहीं है, ऐसा प्रभावी उपाय नहीं है, जिससे उनको कोई राहत पहुंचाई जा सके। यही नहीं, 10 लाख से ऊपर इस देश में बन्धुआ मजदूर हैं।

आप गया के महन्त का भी कुछ नहीं कर पाए, जो पुश्त-दर पुश्त लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, और समाचार-पत्रों में जिसके खिलाफ काफी कुछ प्रकाशित हुआ है, लेकिन उस महन्त को आपने क्या कोई दंड दिया है ? क्या आपने उन बन्धुआ मजदूरों को कोई मुक्ति दिलाई है, जो ढाई सेर अनाज के पीछे अपनी जिन्दगी रहन रख देते हैं, जो एक मन अनाज लेने पर पूरी अपनी सन्तान को गिरवी रख देते हैं ? उन ईंट और भट्टे वाले मजदूरों के लिए क्या आपने कोई प्रबन्ध किया है ?

खेतीहर मजदूरों के लिये आप कौनसा लेजिस्लेशन ला रहे हैं ? अगर आपने कुछ किया भी है तो उसकी इम्पलीमेंटेशन नहीं हुई । मजदूरों को आपने उस जाल में फंसा

दिया है कि वह हड़ताल नहीं कर सकते, यह सब आपने किया है, लेकिन आप उनको कोई राहत नहीं पहुंचा पाये। इसका कारण एक है कि आप एक तरफ श्रमिक को फायदा पहुंचाने की इच्छा रखते हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स से बिगाड़ने में आपको बहुत भय लगता है। इसलिए आप इन दोनों के रिलेशन्स को एक साथ जोड़ नहीं पाये।

मैं तो कहता हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स खुद कोई पैसा पैदा नहीं कर सकते, देश की इकनामी को नहीं बढ़ा सकते। उनके पास सिर्फ पैसा है, उसमें भी आपका दिया हुआ पैसा है, ज्यादा पैसा कर्ज का है। वह भी बहुत चालाक है, अपने पास से कुछ नहीं लगाता और श्रमिकों के बगैर यह एक रुपए में एक पैसा भी नहीं कमा सकता। इसलिए आपको श्रमिकों का ज्यादा कल्याण करना चाहिए, उसके हित की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए बजाए इंडस्ट्रियलिस्ट्स के, जो आपसे कर्जा लेता है और उसके बाद उसका सूद, ब्याज भी नहीं देता। और फिर सरकार असल के पैसे और ब्याज के पैसे की अदायगी के लिए बार-बार एक्सटेंशन देने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे, बरेली की सिन्थेटिक रबर कम्पनी पर कम से कम 20 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का बकाया है, लेकिन सरकार उसे बन्द नहीं कर सकती, क्योंकि उसे चलाने के लिए ऐसे एक्सपर्ट वहीं मिल सकते। इंडस्ट्री वाले सरकार को ऐसे जंजाल में फंसा देते हैं, जिससे वह निकल नहीं सकती और उसे रियायत देनी ही पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि अगर दो करोड़ रुपए के बकाए की पेमेंट के लिए एक साल की तौसीअ मिल गई, तो उस अरसे में उसे कितना मुनाफा हो जाता है। यह सारे देश में हो रहा है। और सब बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स इसका सब से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इस लिए हमें मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि श्री आजाद की नीयत में कोई फर्क नहीं है, वह ट्रेड यूनियन में रहे हैं और लेबर का हित करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? -- वह एक ऐसी सरकार में फंसे हुए हैं, जो पूंजीपतियों की सरकार है, उनके पैसे के बगैर वह चुनाव नहीं लड़ सकती, तो वह बेचारे अकेले क्या करें? (व्यवधान)

जब मजदूर कुछ आंदोलन करता है, तो आप कहते हैं कि वह अनुशासहीन है, मर्डरर है, न जाने क्या क्या संज्ञा उसको देते हैं। लेकिन जो पूंजीपति पैसा हज्म कर लेता है और वक्त पर नहीं देता है, उसको आप कुछ नहीं कहते। मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य निधि का पैसा सारे देश में मिल-मालिक अपने पास रखे हुए हैं, खास तौर से पीलीभीत की शुगर मिल और बरेली की शुगर मिल के मालिक लाखों रुपए डकारे हुए हैं। मंत्री महोदय उसके बारे में कुछ कार्यवाही करें। ऐसा करने से वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे आशा है कि वह मजबूत हो कर कुछ काम करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आजाद साहब के बारे में कहा है कि वह वास्तव में मजदूरों का हित करने वाले हैं। मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी है। मैं कई सालों से पार्लियामेन्ट में हूं, लेकिन जितने लेबर लेजिस्लेशन्ज आज काम्प्रेहेन्सिव असली आ रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं आए। इन कानूनों का मकसद है कि मजदूरों का हित किया जाए। श्री गंगवार पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे थे। उसकी बहुत एक्टिविटीज हैं, इस लिए उन्हें बिल को पढ़ने का समय नहीं मिलता। माननीय सदस्य ने आजाद साहब की तारीफ की है, वह तो ठीक है, लेकिन श्रम मंत्री का जो काम है, आजाद साहब ने वास्तव में वह किया है। इस बिल के स्कोप को बहुत बढ़ा दिया गया है। सब प्रकार की इंडस्ट्रीज इस बिल से कवर होंगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने इस बिल में क्या नहीं पढ़ा है, वह बता दीजिए। आप महज कहने के लिए कोई बात न कहा करें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है । उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । बिल का क्लाज 2 जो है उसके अन्दर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन सब को कवर किया है . . (व्यवधान) . . . मुझे तो मोहब्बत है अच्छे कामों से और जो मजदूरों का हित करता है उस से मोहब्बत है ।

"Industrial establishment means any tramway service or motor transport service engaged in carrying passengers or goods or both by road or by hire or by reward, air transport service other than such service belonging to exclusively employed in the military, naval or Air Force of the Union or Civil Aviation Department of the Government; dock. wharf, jetty, inland vessel, mechanically propelled, mining, quarrying, oilfield. plantation, workshop or other establishments in which articles are produced. adapted and manufactured with a view there to use in transport. Then establishment in which any work relating to construction, development or maintenance of buildings, roads, bridges, canals or relating to operation connected with navigation, irrigation, development or maintenance of buildings, roads, bridges or distribution of electricity or any form of power that is being carried out."

Now all these industries have been covered

श्रमिकों के लिए जो पहले दायरा था उस दायरे को बढ़ा कर इन्होंने कह दिया:

"That in relation to any establishment owned by the Central Government, no such notification shall be issued except with the concurrence of that Government."

उन्होंने कहा, हर जगह इसको लागू किया जा सकता है केवल गवर्नमेन्ट की कान्करेंस ले लेनी चाहिए । इतना स्कोप इसका बढ़ा दिया है यह मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है । . . . (व्यवधान) . . .

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने वह नहीं कहा जो आप कह रहे हैं । आप फिर से मेरी स्पीच पढ़ लीजिएगा । आप मेरी स्पीच को सुनते नहीं हैं, मेरे नाम से मोहब्बत है, ले लेते हैं ।

श्री मूल चंद डागा : मैंने यह कहा

"persons employed in an industrail or other establishment specified in sub-clauses (a) to (g) of clause (ii) of Section 2"

They have covered all the sections.

तो उन्होंने ए से जी में सारा कुछ कवर कर दिया है । सारे सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है । मैंने यह पहला कानून देखा है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन का मेम्बर बनना चाहता है और वह लिख कर देता है तो उस का चन्दा जो उद्योगपति है वह वसूल कर सकेगा । यह नहीं कहा कि जबरदस्ती ले लेगा ।

"Deductions made, with the written authorisation of the employed person, for payment of the fees payable by him for the membership of any trade union registered under the Trade Union Act, 1926;"

ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत अगर कोई सी. पी. एम. का मेम्बर है, कोई सी आई. टी. यू. का है, कोई आई. एन. टी. यू. सी. का है, वह लिख कर दे देगा, उस का चन्दा काट दिया जाएगा । सारा झगड़ा इस से मिट जाएगा । उन्होंने कहा कि मालिकों का असर आ जाएगा, लेकिन यह तो जब वह राईटिंग में लिख कर देगा तभी डिडक्शन होगा । डिडक्शन परसन कन्सर्न्ड के रिटेन एथाराइजेशन पर ही होगा । यह इस में कह दिया गया है कि डिडक्शन नहीं किया जाएगा जहां मजदूर अपने हाथ से लिख कर दे देगा। आप सवाल क्या पैदा होता है, चन्दा इकट्ठा करने में क्या होता है—मैंने देखा है जहां उद्योग लगे रहते हैं, लोग बाहर खड़े रहते हैं, एक ईमानदार

और भले मजदूर को एक तरफ से परेशान किया जाता है, कोई कहता है कि मुझे चन्दा दे दो, दूसरा कहता है कि मुझे दे दो। अब मजदूरों से सीधे मिल मालिक चन्दा वसूल कर लेगा और वह उस यूनियन को दे देगा कि इतना चन्दा आप का आया है। आजकल कुछ तथाकथित नेता जो मजदूरों के बन जाते हैं वह चन्दे पर जिन्दा रहना चाहते हैं। उस चन्दे पर वे जिन्दा रहना चाहते हैं। जिनकी रोजी-रोटी छीन ली गई है उनको कष्ट पहुंचेगा।

आपने कहा कि मालिक अपने फायदे की संस्था खड़ी कर देगा। लेकिन इसमें लिखा है .

under (kk) of clause 7:

"deductions made, with the written authorisation of the employed person, for the payment of his contribution to any fund constituted by the employer or a trade union registered under the Trade Union Act, 1926 for the welfare of the employed persons or the members of their families, or both, and approved by the State Government or any officer specified by it in this behalf, during the continuance of such approval;"

इसमें कहा गया है कि अगर मजदूरों के हित का कोई काम होता है और वह लिखकर दे दे कि चन्दा ले लिया जाए तो वह ले लिया जाएगा। इसमें वह काम होंगे जिनको स्टेट एप्रूव करेगी। मिल-मालिक के ऊपर इसको नहीं छोड़ा गया है। अब इसके बाद भी अगर किसी को कोई एतराज है तो उस पर मुझे आश्चर्य होता है। विरोधी दल के लोगों को तो, मैं समझता हूं, बहुत नाप-तोल कर बातें कहनी चाहिए क्योंकि उनकी कही बात का वजन पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है कि दो सौ रुपए जुर्माना भी देना होगा। पहले दो सौ रुपए तक की बात थी और तब दो सौ रुपए मेनडेटरी रखे जा रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिए।

Clause 11(c).

"which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to one thousand rupees"

जुर्माना दो सौ से कम नहीं होगा और हजार तक वह जा सकता है। आगे लिखा है :

Clause 11 (c).

'for the words "which may extend to five hundred rupees", the words "which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to one thousand rupees"

तो कानून में यह संशोधन होने जा रहा है और हमारे भाई यहां पर कुछ और ही बातें कह रहे थे। उनको यह बिल देख लेना चाहिए था। जो उद्योगपति समय पर पैसा नहीं जमा करता है उसके लिए इम्प्रिजनमेन्ट तक की व्यवस्था की गई है।

Clause 11 (e).

"which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees"

एक महीने की सजा तो कम्पलसरी है।

That will be a mandatory provision. Please see Clause 11( ) again:

"which shall not be less than one month but which may extend to six months and with fine which shall not be less than five hundred rupees but which may extend to three thousand rupees" shall be substituted.

सवाल यह था कि बिल के सम्बन्ध में कोई बात यहां पर कही जाती। उधर से कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन्स आते तो हम भी समझते कि उधर से अच्छी बातें आ रही हैं लेकिन वे तो सारी दुनिया में घूमकर जनरल बातें कहते जा रहे थे। अगर कोई हवा में ही तीर फेंकता है तो फेंकने दो वह लगता ही किसको है? यूं ही वे अपनी सारी बारूद खर्च कर रहे थे जिसका कोई असर नहीं हो रहा था।

[श्री मूलचन्द डागा]

इसमें एक बात यह कही गई है कि अगर कोई मजदूर प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर लिख देता है कि फलां व्यक्ति मेरा वारिस है तो उस मजदूर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सारा पैसा उसके वारिस को मिल जाएगा जबकि आज सक्सेशन सर्टीफिकेट वगैरह लेना पड़ता है।

इससे ज्यादा क्या हो सकता है ।

> "be paid to the person nominated by him in this behalf in accordance with the rules made under this Act; or (b) where no such nomination has been made or where for any reasons such amounts cannot be paid to the person so nominated, be deposited with the prescribed authority...."

यह नहीं कि पैसा मालिक के पास जाए या वह हड़प जाए, वह पैसा मजदूरों के पास जाना चाहिए । यदि वह न ले सके तो वह एक प्रिस्क्राइब्ड अथारिटी के पास जमा हो जाए। मैं यह चाहता हूं कि वह पैसा भी मजदूरों के हित में लगाना चाहिए। वह पैसा श्रमिकों के वैलफेयर में लगाना चाहिए। तभी ज्यादा अच्छा हो सकता है ।

> "(b) where no such nomination has been made or where for any reasons such amounts cannot be paid to the person so nominated, be deposited with the prescribed authority who shall deal with the amounts so deposited in such manner as may be prescribed."

जब आप रूल्स फ्रेम करें, तो उसमें आप यह व्यवस्था कर दें वह पैसा उसी वैलफेयर फण्ड में लिया जाए । जहां मजदूर ने काम कियाहै, वहीं मजदूरों के हित में वह पैसा खर्च किया जाए। दूसरे आपने रूल मेकिंग पावर को एमेंड किया है । मैं समझता हूं कि इस बिल की अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है । जहां-जहां भी मंत्री महोदय ने बिल में अमेंडमेंट की है, वहां उन्होंने कुछ न कुछ प्रोग्रेस की है। कल को भी बिल में जो पारित हो गया उनमें कुछ बातें प्रंशसनीय हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल के लोग हाउस से उठ कर चले गए । पता नहीं उनका क्या मोटिव था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): मोटिव से बाहर गए और अन्दर भी आए ।

श्री मूलचन्द डागा: बिल तो पारित होना था, और वह पारित हो गया । मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल श्रमिकों के हित का बिल है । जैसा कि कहा जा रहा था कि यह धनिकों की पूंजीवादी सरकार है, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल पूंजीपतियों के हित में नहीं है । यह श्रमिकों के हित का बिल है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री महोदय द्वारा जो बिल सदन में विचारार्थ पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत साधारण बिल है। जैसा कि प्रावधान किया गया है, उस मुख्य एक्ट के तहत और अधिक श्रमिक वेतन भोगी उसकी परिधि में आ सकेंगे ।

दूसरे यह है कि जो अनधिकृत कटौतियां हो जाती हैं, चाहे वह श्रमिक के कल्याण निधि के लिये हों या यूनियन फीस के रूप में हो, उनकी कटौती को रोका जाएगा। तीसरे यह है कि समय पर श्रमिक के वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। जो अन्य मुख्य संशोधन किया गया है, वह यह है कि जो एम्प्लायर इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनको सजा देने के लिए, दंड देने के लिए और सख्ती बरती जाएगी ऐसा मैंने समझा है । इस विधेयक के सम्बन्ध में जहां तक मेरे मत का प्रश्न है, इसका कोई विरोध नहीं हो सकता है, मैं इसका समर्थन करता हूं । लेकिन एक बात में आपत्ति जरूर होती है कि यह एक्ट 1936 में पास हुआ था, उस के बाद 1947 में देश आजाद हुआ और तब से अब तक 35 सालों के अन्दर यह ध्यान नहीं दिया गया कि इस तरह की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र की जाय । इस बीच में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या जनता सरकार रही हो जो व्यवस्था आज तक चली आ रही है उस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया ।

मैं इस बात को भी समझता हूं कि 35 सालों की आजादी के बाद आज यह बिल

यहां लाया गया है--यह इस बात का द्योतक है कि हमारे एम्पलायर्स या पूंजीपतियों की नीयत हमारे श्रमिकों के प्रति अच्छी नहीं है। अभी भी वे श्रमिकों की वेजेज में से अनआथोराइज्ड डिडक्शन करते हैं, समय पर उन का वेजेज का भुगतान नहीं करते हैं या इस तरह के कार्य करते हैं जिन की वजह से यह संशोधन यहां लाना पड़ा है।

अब जहां तक अधिक श्रमिकों को उस परिधि में लाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं ज्यादा ध्यान फैक्ट्री-लेबर, इण्डस्ट्रीयल लेबर या आर्गेनाइज्ड लेबर की ओर दिया गया है। लेकिन जैसे गोदी मजदूर यद्यपि संगठित हैं या ऐसे श्रमिक, जैसा हमारे कुछ साथियों ने कहा है, कृषि श्रमिक, उन के वेजेज के पेमेन्ट के लिए क्या सुनिश्चित किया जा रहा है--उन के लिये शायद इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है। 1948 में जो मिनिमम वेजेज एक्ट पास हुआ था उस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो मिनिमम वेजेज फिक्स किया जाए उस के पेमेन्ट की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उदाहरण के लिये आप एशियाड को ले लीजिये, दिल्ली में एशियाड के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। समय-समय पर यहां चर्चा की गई है कि जो श्रमिक वहां पर कार्य कर रहे हैं उन के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है या उन को मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं दिया जा रहा है। यह बात कई बार यहां पर आई है और हमेशा सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि ऐसी बात नहीं है, उन को पूरी मजदूरी दी जा रही है और उन के साथ न्याय हो रहा है। लेकिन आज भी मैंने अखबार में पढ़ा है-- सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन सदस्यों की जांच समिति बैठाई गई थी, उस ने रिपोर्ट दी है कि मजदूरों का पूरी मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है। जो कांट्रैक्टर्स एशियाड के काम में लगे हुए हैं वे डेढ़ रुपया प्रति मजदूर डिडक्शन करते हैं। यह अनआथोराइज्ड डिडक्शन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ने इस विधेयक में यह व्यवस्था की है कि राज्य सरकारें नोटिफिकेशन के द्वारा जिन संस्थानों को उचित समझती हैं इस कानून की परिधि में ला सकती हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कोई भी श्रमिक या एम्पलाइज जो काम कर रहे हैं आटोमैटिकली इस की परिधि में आ जाने चाहियें, नोटिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़े। जिस ने काम किया है उस का भुगतान होना ही चाहिए--इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती, लेकिन जो व्यवस्था आप ने इस कानून में की है कि राज्य सरकारें उस संस्थान को इस की परिधि में लाने के लिए नोटिफिकेशन निकालें तथा जो केन्द्रीय सरकार के संस्थान हैं उन को तब इस के अन्तर्गत लाया जा सकेगा केन्द्रीय सरकार सब से राय ले ली जाएगी-- यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। आप ने प्राइवेट के लिए तो कह दिया कि नोटिफिकेशन जारी कर सकेंगे, लेकिन केन्द्रीय सरकार के संस्थान के लिए केन्द्रीय सरकार से राय क्यों ली जाय ? मैं समझता हूं -- इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस में मैं तो डिस्क्रीमिनेशन दिखाई देता है। इस लिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जितने श्रमिक हैं, चाहे वे किसी भी संस्थान में हों, सभी को इस की परिधि के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये।

जहां तक अनआथोराइज्ड डिडक्शन का प्रश्न है, अभी तक यह व्यवस्था रही है कि एम्पलायर जैसे चाहे, बगैर एम्पलाई के सहमति के डिडक्ट कर लिया करते थे--यह नहीं होना चाहिए। जब तक वह लिखित रूप में न दे, चाहे कल्याण निधि हो या वह यूनियन से सम्बद्ध है, तब तक किसी प्रकार की अनाधिकृत कटौती नहीं की जानी चाहिए। यह व्यवस्था ठीक है और होनी चाहिए। बगैर उसकी राय के कोई बात नहीं होनी चाहिए।

इस में जो पनिशमेन्ट की बात कही गई है, वह यह है कि पहले 500 रुपये तक जुर्माने की बात थी लेकिन अब यह कर दिया गया है कि कम से कम 200 रुपये जुर्माना होगा और 1 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इस में जो आफेंडर्स के लिए यह राशि रखी गई है वह मुझे बहुत कम लगती है क्योंकि मान लीजिए कि अगर कहीं पर अनआथोराइज्ड डिडक्शन हो गया और वहां पर सैंकड़ों मजदूर अगर हैं, तो उन के केसेज में अनआथोराइज्ड डिडक्शन बहुत काफी होगा जबकि जुर्माना बहुत कम होगा। उन महीनों उन के वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो हजारों रुपये का फायदा एम्पलायर्स

[श्री बी. डी. सिंह]

को होगा जबकि उन को 200 रुपए या अधिक से अधिक 1000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में श्रमिक हैं, उन पर किस तरह से यह लागू होगा, जहां पर हजारों मजदूर हैं, उन पर यह कैसे लागू होगा क्योंकि बहुत से केसेज में ऐसा होता है जैसे शूगर मिलों की बात बताई गई कि वहां पर ऐसी बातें हो जाया करती हैं। इसमें कुछ रिकार्ड मेन्टेन करने की बात भी है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे संस्थान हैं, जहां पर दो-चार नहीं बल्कि 8-10 सालों से श्रमिक काम करते आ रहे हैं लेकिन वे अस्थायी ही हैं। वे टेम्परेरी रूप से काम करते हैं और उन के रिकार्ड का मेन्टेनेन्स उचित तरीके से नहीं होता। इसलिए इस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इस से श्रमिकों का बड़ा शोषण होता है।

अन्त में मैं दो बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मिनीमम वेजेज के पेमेन्ट की बात हो या बोनस के पेमेन्ट की बात हो या ट्रेड यूनियन्स से सम्बन्धित और दूसरी बातें हों जो लेबर से सम्बन्धित दूसरे मसले हों जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है, इन सब के लिए एक काम्प्रीहैंसिव बिल होना चाहिए। मेरी भी राय यह है कि एक ऐसा काम्प्रीहैं- बिल को सरकार को लाना चाहिए जिस में मजदूरों से सम्बन्धित सभी प्रमुख मसले हों चाहें वह वेजेज का मामला हो या वर्किंग कंडिशन्स का मामला हो। इन सारी बातों का समावेश करते हुए एक बिल मंत्री जी को लाना चाहिए। इस की बहुत आवश्यकता है। मैं आप को इस बात के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप सितम्बर में एक नेशनल ट्रिपारटाइट कान्फ्रेन्स करने जा रहे हैं और ऐसा बहुत दिनों के बाद हो रहा है। उसमें आप इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे, एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाने के लिए आप उसमें चर्चा करेंगे। ऐसा मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में आप कुछ कार्यवाही करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथियों ने नेशनल वेज पालिसी की बात कही। मैं भी ऐसा मानता हूं कि देश में एक नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिए। इस जो वेज अर्नर्स हैं, उन को ही फायदा नहीं होगा बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी फायदा होगा क्योंकि वेज पालिसी से प्राइसेज पर फर्क पड़ेगा। इसलिये देश के हर नागरिक को इस से फायदा होगा। एक वेज पालिसी बननी चाहिए। इस बात के लिए मैं जनता सरकार को बधाई दूंगा। मैं इसके लिए मैरिट या डी-मैरिट में नहीं जाना चाहता, मैं भूतलिंगम कमीशन की रिपोर्ट की मैरिट या डी-मैरिट में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने इस बात को रियेलाइज किया था कि एक नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिए और उस ने एक कमीशन मुकर्रर किया था। मैं यह नहीं कहता कि उस कमीशन की रिपोर्ट को आप मानिये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रान्तीय सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन को बुलाइए, जो पूंजीपति हैं या मिल वाले हैं, उनके प्रतिनिधि बुलाइए, लेबर के प्रतिनिधि बुलाइए, आप बैठिये और फिर एक नेशनल वेज पालिसी बनाइये। इस का केवल लेबर मिनिस्ट्री से ही सम्बन्ध नहीं है, यह मैं मानता हूं लेकिन आप इस में पहल कीजिये और इस के लिए मैं आप से आग्रह करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI N. SELVARAJU (Tiruchirapalli): Sir, on behalf of the DMK Party, I wish to say a few words on the Payment of Wages Amendment Bill.

This session of the Lok Sabha can be called a labour welfare session, because a major Industrial Disputes Amendment Bill has been brought forward by the hon. Labour Minister and passed by this House. At the very outset I wish to say that while formulating the national wage policy during the tenure of office our Minister will prove his latent talent and his inherent concern for the welfare of workers. Even though there is a lot of scope for improvement, this Bill has already gone a few steps in that direction. The wage limit covered by this legislation has been raised to Rs. 1,600, as was done in the case of the Industrial Disputes Amendment Bill. That has to be commended.

Though most of the trade unions are pleading for a higher limit in the matter of bonus, the Minister has stuck to the figure of Rs. 1600. I hope he will agree to this demand before long.

There is an urgent need for bringing the workers in the unorganised sector under the purview of this Bill. The agricultural labour and handloom weavers are left out of the scope of this Bill, though they form a major portion of the workers in India. They must be brought within the scope of this Bill. If our present Labour Minister cannot get this done, no one can do this.

This Bill empowers the State Governments to extend the provisions to a large number of establishments. So, now there will be no need for the States to seek the concurrence of the Central Government in this matter.

The DMK trade Unions have more than 5 lakhs of workers in more than four States. In the Coimbatore textile industry the DMK unions command the majority. In most of the Central public sector undertakings like BHEL, Tiruchi, Small Arms Factory, Tiruchi, the Golden Rock Railway Workshop, Tiruchi, the Avadi Factory, Madras, the DMK Union has the majority. In fact, the DMK union in those units has been recognised as the All India Union. So far as the other unions are concerned, they are functioning only to collect funds. A few examples are the unions in Hindustan Photo Films, Cordite Factory, Coonor, Kolar Gold Fields, Simco Meter, Tiruchi. They simply collect subscriptions. They do not try to solve the problems faced by the workers in those factories. In some cases, they also have collusion with the managements in those units and thus work against the interests of labour.

I would request the Labour Minister to give recognition to the DMK Trade Union as the All India Trade union... (*Interrption*). Our union has a membership of more than 5 lakh workers.

He was able to get the unanimous agreement of the employers to the national minimum wage in the Employers' Committee. This need-based minimum wake has to be approved by the National Tripartite Committee in September.

With these words, I support the Bill.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 11th August, 1982/Sravana 20, 1904 (Saka).

GMGIPMR—1804 L9—16-11-82—890.